विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-18/15

श्री केशरीमल कन्हैयालाल — आवेदक
4–ए, हीरामील रोड, उज्जैन
मध्यप्रदेश।

विरूद्ध

इंजीनियर इंचार्ज अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) — अनावेदक
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
उज्जैन।

आदेश
(दिनांक 13.08.2015 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र के शिकायत क्रमांक W0291615 श्री केशरीमल कन्हैयालाल विरूद्ध इंजीनियर इंचार्ज अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, उज्जैन में पारित आदेश दिनांक 27.03.2015 के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 उभय पक्ष दिनांक 11.8.2015 को सुनवाई में उपस्थित हुए।

03 आवेदक द्वारा मूलतः उसकी शिकायत वर्ष 2013–13 में उनके द्वारा दो बार से अधिक बिल का पूर्ण भुगतान न करने पर उनके कनेक्शन के विरूद्ध रू. 52150/– अतिरिक्त सुरक्षा निधि की मांग की है। जबकि आवेदक द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया है कि वर्ष 2012–13 में उनके विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध दिये गये बिलों का भुगतान किया है।

04 अनावेदक द्वारा इस संबंध में आवेदक के इस वर्ष के दौरान की गई खपत, बिल की राशि तथा भुगतान करने तथा सुरक्षा निधि, अनावेदक के पास होने की जानकारी प्रस्तुत की है तथा माननीय विद्युत नियामक आयोग के प्रतिभूति निक्षेप (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष में दो या दो बार से अधिक विद्युत देयकों

का भुगतान समय पर न करने पर इस विनियम की कंडिका 1.19 के अनुसार उपभोक्ता से 45 के स्थान पर 60 दिनों के बराबर अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि लिया जाना है। अतः उपभोक्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में दो बार से अधिक पूर्ण बिल की राशि का भुगतान नहीं किया गया। अतः कंडिका 1.19 के तहत गणना कर अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि उनके बिलों में जोड़ी गई।

05 आवेदक द्वारा उपरोक्त कथन के संदर्भ में मई, जून, जुलाई व अगस्त 2012 के विद्युत देयकों की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसके अनुसार संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बिल की राशि कम करने के उपरांत शेष राशि के विद्युत देयकों का भुगतान उनके द्वारा किया जाना बताया है।

अनावेदक व आवेदक द्वारा दिये गये तर्क तथा नस्ती में उपलब्ध दस्तावेजों के अवगत करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि –

(i) मई, जून, जुलाई व अगस्त 2012 में जो विद्युत देयक आवेदक को दिये गये थे उसे क्षेत्रीय संबंधित अधिकारी द्वारा संशोधित कर बिल की राशि जमा करने के लिए आवेदक को दिये जिसके अनुसार आवेदक ने इन माहों में विद्युत देयकों का भुगतान किया है।

(ii) अनावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसमें की प्रत्येक माह में की गई बिलिंग, डिमाण्ड व प्राप्त भुगतान के स्टेटमेंट के अवलोकन करने पर पाया जाता है कि मई माह में रूपये 98359/– की डिमाण्ड के विरूद्ध 96755/– रूपये आवेदक द्वारा जमा किये गये। माह जून में रूपये 101418/– की डिमाण्ड के विरूद्ध 98830/– रूपये जमा किये गये। जुलाई माह में 149309/– की डिमाण्ड के विरूद्ध 145706/– जमा किये गये तथा अगस्त 2012 में रूपये 91228/– की डिमाण्ड के विरूद्ध रूपये 86132/– जमा किये गये।

(iii) जबकि इन माहों में आवेदक को अनावेदक द्वारा रूपये 117384/– का बिल जारी किया गया जिसे संशोधित कर रूपये 96755/– की गई । संशोधित राशि का भुगतान आवेदक द्वारा कर दिया गया। इसी प्रकार जून माह में रूपये 113332/– का बिल जारी किया गया तथा जिसे बाद में 98830/– संशोधित कर दिया गया जिसे आवेदक द्वारा जमा कर दिया गया। माह जुलाई में आवेदक को रूपये 162202/– का विद्युत देयक जारी किया गया जिसे भी संशोधित कर रूपये 145706/– का किया गया जिसका भुगतान भी आवेदक द्वारा कर दिया गया। अगस्त 2012 का विद्युत देयक रूपये 92240/– दिया गया जिसे भी संशोधित कर रूपये 86132/– कर दिया गया जिसका भुगतान भी आवेदक द्वारा किया गया इसकी पुष्टि स्वयं अनावेदक द्वारा दिये गये उपरोक्त उल्लेखित प्रतिवेदन से होती है।

(iv) अनावेदक से पूछे जाने पर कि आवेदक को दिये गये विद्युत देयकों एवं विभागीय स्टेटमेंट जो कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसक बिलिंग डिमाण्ड में क्यों अंतर है तथा आवेदक के विरूद्ध जो सुरक्षा निधि की राशि दर्शायी जा रही है उसमें इन माहों में निरंतर वृद्धि कैसे हुई है, अनावेदक इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत स्टेटमेंट से यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा चाही गई आवश्यक सुरक्षा निधि का भुगतान इन माहों में किया जाता रहा है।

06 उपरोक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा ही संबंधित विवादित माहों के बिलों की राशि को कम कर आवेदक को भुगतान करने की अनुमति दी गई और आवेदक द्वारा तदनुसार भुगतान किया गया। इसलिए यह कहना कि आवेदक द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में दो बार से अधिक पूरे विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया गया असत्य है।

अतः प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है कि –

(i) अनावेदक द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 1.19 के अनुसरण में गणना की गई सुरक्षा निधि को निरस्त किया जाए।

(ii) अनावेदक द्वारा उक्त कंडिका के अनुसार आवेदक से वर्ष 2012–13 के 45 दिनों के औसत मासिक बिल के बराबर सुरक्षा निधि ले सकता है । फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

07 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल